रजिस्टर्ड नं० पी०/एल० एन० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 35] शिमला, शनिवार, 13 जून, 1987/23 ज्येष्ठ, 1909 [संख्या 24

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	466—468
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	—
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	469—471
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	471—476
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

13 जून, 1987/23 ज्येष्ठ, 1909 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 3-17/84 ई एल. एन., दिनांक 10 जून, 1987.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचनायें संख्या 479/87, 479/7/87-i, 479/7/87-ii तथा 479/7/87-iii समस्त दिनांक 10 जून, 1987 (हिन्दी रुपान्तर सहित) तथा महासचिव लोकसभा एवं राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की लोकसूचना दिनांक 10 जून 1987 (हिन्दी रुपान्तर सहित) का सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशन ।
संख्या 6-1/85-ई. एल. एन., दिनांक 30 मई, 1987.	—यथैव—	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 429/एच०-पी०-एल० ए०/87, दिनांक 15 मई, 1987 जोकि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, का जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशन ।
No. FDS/LPG/86, dated 30th May, 1987.	Office of the District Magistrate, Shimla District, Shimla.	Amending notification No. FDS/LPG/86, dated 15th May, 1987 to further streamline the supply and distribution of Indane LPG cylinders to the consumers in Shimla town.

1173-राजपत्र/87-13-6-87—1,230.

मूल्य: 1 रुपया ।

भाग 1–वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 4th June, 1987

No. HHC.GAZ-14-22/74-II-6752.—The Hon'ble the Chief Justice and Jndges are pleased to accord ex-post-facto sanction to the grant of 4 days commuted leave *w.e.f.* 18-5-87 to 21-5-87 with permission to prefix Sunday falling on 17-5-87, in favour of Shri O. P. Sharma, District and Sessions Judge, Una.

Certified that Shri O. P. Sharma, would have continued to hold the post of District and Sesssions Judge, but for his proceeding on leave for the above period.

Also certified that Shri O.P. Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded to avail leave for the above period.

Shimla-1, the 4th June, 1987

No. HHC Admn.6(23)74-II-6762.—Consequent upon the grant of 10 days earned leave *w.e.f.* 3-6-87 to 12-6-87 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 13th and 14th June, 1987 in favour of Shri S. S. Ahuja, District and Sessions judge, Hamirpur the Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of the H.P. Financial Rules, 1971, Vol. I, is pleased to declare the Senior Sub-Judge-*cum*-CJM, Hamirpur as drawing and disbursing officer of the Court of District and Sessions Judge, Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc., in respect of class III and IV establishment of that court under Head 2014—Administration of Justice during the above leave period of Shri S. S. Ahuja or until Shri Ahuja returns from leave.

By order.
Sd/-
Deputy Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 1987

संख्या सिंचाई 11-8/87-मण्डी.—अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव मलवाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी में बल्ह वैली सिंचाई परियोजना मेन कैनाल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवं एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और अभिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी — तहसील : सदर

गांव	खसरा सं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां0
1	2	3	4	5
मलवाणा/296	319/1	1	3	8
	395/1	0	14	14
	392/1	0	17	2
	394/1	1	2	6
	111/1	1	17	12
	393/1	0	6	16
	393/2	1	3	5
	393/5	0	0	8
	403/1	0	7	7
	391/1	0	5	5
	399/1	1	0	17
	389/1	0	4	1
	412/1	1	4	9
	532/1	0	1	16
	414/1	1	9	2
	415/1	0	2	0
	416/1	1	1	2
	139/1	0	19	4
	130/1	2	14	1
	142/1	1	0	0
	115/1	0	0	9
	423/1	0	5	17
	425/1	0	7	16
	225/1/1	0	2	8
	225/1/2	0	2	5
	586/232/1	0	11	15
	117 1	0	2	12
	117/2	0	0	14
	118 /	0	5	13
	227 1	0	2	16
	430/1	0	5	19
	431/1	0	8	17
	432/1	0	15	9
	121/1	0	3	3
	434/1	0	15	11
	103/1	0	7	4
	214/1	0	1	18
	228/1	3	19	9
	213/1	0	0	9
	129/1	0	6	19
	131/1	0	11	12
	132/1	1	7	6
	120/1	0	0	14
	305/1	0	4	9
	314/1	1	11	16
	314/1	0	2	4
	105	0	5	8
	106/1	0	3	19
	107	0	4	12
	108/1	0	1	6
	109/1	0	0	16
	110	0	1	4
	119/1	0	2	10
	549/133/1	0	0	9
	113/1	0	3	17
	116/1	0	0	10

1	2	3	4	5
	317/1	2	3	3
	308/1	2	10	12
	310/1	2	18	13
	310/2	0	1	13
	310/5	0	1	10
	310/6	0	8	8
	309/1	0	17	12
	112/1	0	4	16
	585/232/1	0	1	18
	104/1	0	9	13
	229/1	0	7	4
	406/1	0	5	2
किता . .	68	42	14	14

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 मोहपात्र,
सचिव ।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 25 अप्रैल, 1987

संख्या विद्युत-छ (5)-59/86.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: चमेरा जल विद्युत परियोजना के लिए बैंचिंग एवं एग्रिगेट प्लांट के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, थियल बैंक भवन, शिमला-171003 को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लने का निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण, भूमि अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फ्रूटस, डा0 सुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व. भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फ्रूटस, डाकखाना सुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : चम्बा तहसील: भटियात

मौजा	खसरा संख्या	क्षेत्र बी0	क्षेत्र बि0
1	2	3	4
संज़पाई ह0 ब0 नं0 41.	25	0	19
	26	1	3
	27	1	18
	28	1	7
	29	2	3
	30	1	12
	31	2	10
	32	2	0
	33	1	2
	34	2	7
	35	1	8
	36	0	5
	37	0	8
	38	1	9
	39	1	15
	40	1	6
	41	0	17
	42	1	9
	43	0	17
	44	0	4
	46/2	1	1
	47/2	1	7
	48/2	0	4
	49	1	4
	50	1	18
	51	0	18
	52	1	18
	53	1	5
	54	0	19
	55	2	17
	56	3	7
	57	3	1
	58	0	12
	60	1	9
	61	0	16
	62	0	15
	63	3	14
	65/3	2	16
	66/2	0	6
किता ..	39	78	16

शिमला-2, 30 मई, 1987

संख्या विद्युत-छ (5)-34/86.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: नाथपा-झाखड़ी पन विद्युत परियोजना के लिए ग्राम कोशगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला में मगजैलरी मर्ज साफ्ट के लिए पहुच सड़क के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, थियल बैंक शिमला-3 को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, थियल बैंक, शिमला-3 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: रामपुर

ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वा0
1	2	3	4	5
कोशगढ़	174/1	0	07	90
	175/1	0	06	04
	192/1	0	03	46
	273/1	0	01	86
	259/1	0	04	26
	256/1	0	05	59
	258/1	0	24	07
	276/1	0	07	85
	260	0	01	86
	257	0	07	60
	261	0	05	50
	266/1	0	08	40
	262/1	0	03	65
कित्ता ..	13	0	90	04

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि को अर्जित करने पर कोई आपत्ति हो, तो वह व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप भू-अर्जन समाहर्ता (I) लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*ननांग निरु मार्ग के निर्माण हेतु।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(3) 21/86.

शिमला-171002, 19 मई, 1987.

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: कोटखाई

मौजा	खसरा न0	क्षेत्र बी0	बि0
1	2	3	4
पजोल	1	1	11
	3	1	2
	6	0	12
	7	1	5
	2	0	3
	4	0	4
	8	0	3
	9	0	8
	16	0	3
	402/5	8	13
	403/5	10	0
कित्ता ..	11	24	4

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(3) 21/86.

शिमला-171002, 19 मई, 1987.

बागी	642/582	7	5
	422	3	14
	423	1	17
	424	0	13
	657/417	5	0
	419	2	3
	616/417	1	11
	617/417	0	7
	613/388	1	15
	614/388	1	13
	461	1	8
	492	1	15
	393/1	0	17
	621/465	1	14
	491	1	0
	492/1	1	6
	493	0	5
	462	0	13
	489	6	10
	490	0	19
	481	1	1
	471	1	19
	419/1	0	10
	495	7	2
	494	1	9
	496	0	9
	466	1	1
	583	2	5
	461	2	7
	584	2	3
	384	0	6
	385	1	12
	386	0	8
	418	2	5
	585	6	10
	390	0	3
	392	0	7
	393	7	5
	499	16	3
	581	1	17
	399	0	10
	408	0	10
कित्ता ..	42	98	7

तहसील: जुब्बल

*पंच गांव-थान्टी मार्ग के निर्माण हेतु भूमि।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 24/87.

शिमला-171002, 18 मई, 1987.

बरथाटा	144/3/2	0	9
	144/3/3	0	11
	6/2	4	2
कित्ता ..	3	5	2

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

शून्य

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अप्रैल, 1987

संख्या ज-(8)-16/86-शिक्षा-ग.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः राजकीय महाविद्यालय, रोहड़ू, जिला शिमला की स्थापना हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता भू-अर्जन (उप-मण्डलीय अधिकारी सिविल), रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू-अर्जन (उप-मण्डलीय अधिकारी सिविल), रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

[Authorised English Text of this Department notification No. JA (8)-16/86, Shiksha-GA, dated 30-4-1987 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 30th April, 1987

No. JA(8) 16/86-SHIKSHA-GA.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Himachal Pradesh Government at public expense for a public purpose namely for the establishment of Government Degree College, Rohroo, District Shimla, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the said purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of said Act, the Collector Land Acquisition Collector (Sub-Divisional Officer Civil), Rohroo, District Shimla, (H. P.).

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector (Sub-Divisional Officer, Civil), Rohroo, District Shimla (H. P.).

विस्तृत विवरणी

SPECIFICATION

जिला: शिमला *District* : SHIMLA — तहसील: रोहड़ू *Tehsil* : ROHRU

गांव/कस्बा Village/Town	खसरा नं0 Khasra No.	क्षेत्र बी0 वि0 Area Big. Bis.
1	2	3 4
1 रनटाडी RANTADI	1622	1 08
	1623	0 13
	2135/78	0 07
	2169/78	7 13
	1419/1621	0 16
	1627	0 04
	1628	0 05
	2420/1621	1 03
	1617	1 02
	1625	0 02
	1616	0 19
	1615	0 08
	1619	0 11
	1612	0 04
	1618	0 10
	1611	0 10
	1613	0 05
	1624	0 15
	1626	0 05
	1620	3 12
	78/1	2 10
	78/2	3 08
Kittas .. 22		27 10

By order,
ATTAR SINGH,
Financial Commissioner.

Shimla-2, the 7th August, 1986

No. Ka(1)-5/84-Shiksha-Ka.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of a new Degree College in Sarswati Nagar (Sawra), District Shimla with effect from 1st July, 1986.

M. K. KAW,
Financial Commissioner.

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 24 अप्रैल, 1986

संख्या एम0पी0पी0-बी0 (2)-59/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में सहायक के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" में दिए गए निम्न-लिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय सहायक (वर्ग-3 पद) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव।

उपाबन्ध "अ"

हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में सहायक के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	सहायक
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वेतनमान	रुपये 570-15-600/20-700/25-850-30-1000/40-1080.
4. वर्गीकरण	वर्ग-iii
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जो सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति :— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा।	लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनकी श्रेणी में कम-से-कम नियमित या तदर्थ (31-12-1983) तक सेवा या तदर्थ (31-12-1983) सहित सेवा को मिलाकर नियमित सेवा 5 वर्ष की हो।

टिप्पण-1:

उन सभी मामलों में जहां कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवा काल के आधार पर (जिसके अन्तर्गत 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा भी है) विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां सम्बन्धित प्रवर्ग में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और उन्हें विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों के ऊपर रखा जायेगा :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति या स्थायीकरण के लिए विचार किया जाता है, कम-से-कम तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा या ऐसी सेवा जो पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित की गई हो; उनमें जो भी कम हो, होनी चाहिए :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में विहित अपेक्षा के कारण प्रोन्नति या स्थायीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है; वहां ऐसी प्रोन्नति/स्थायीकरण के विचार के लिए उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को भी पात्र समझा जायेगा ।

टिप्पण-2:

जब कभी स्तम्भ 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जायेगा।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. अनुरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
15. शिथिल करने की शक्ति	जहां सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

[Authorised Engish Text of this Department notification No. MPP-B (2) 59/84, dated 24-4-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

M. P. P. & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th April, 1986

No. MP P-B(2) 59/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh as per Annexure "A" appended to this notification namely:—

1. *Short title & commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant (Class-III Services) in the Department of Electrical Inspectorate, 1986.

(*ii*) These shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT IN THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICAL INSPECTORATE

1. Name of the post	Assistant
2. Number of post	1 (One)
3. Scale of pay	Rs 570-15-600/20-700/25-850-30-1000/40-1080.
4. Classification.	Class-III
5. Whether selection post or non-selection post.	Non-selection.
6. Age for direct recruits.	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	No
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for such a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced to writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer/ grades from which promotion, deputation/transfer to be made.	By promotion from amongst Clerks with at least 5 years regular or *adhoc* (rendered upto 31-12-1983) or regular combined with *adhoc* (rendered up to 31-12-1983) service in the grade. *Note*-1.— In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *adhoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, all persons senior to him in the respective category shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion/ confirmation shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the relevant recruitment and promotion rules for the post whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion/confirmation on account of the requirement prescribed in the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/ confirmation. *Note*-2.—Provisions of columns 10 & 11 are to be revised by the Government in consultation with the commission as and when the number of posts under column 2 are increased.
12. If a D.P.C. exists what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ scheduled tribes/backward classes etc. issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
15. Power to relax	Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

By order,
K. C. MAHAJAN,
Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासनः म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

बअदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार, कांगड़ा
मुकद्दमा नम्बर आफ 1982

श्री बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह, वासी टुण्डू ..प्रार्थी ।

सर्वजनता बनाम ..प्रत्यार्थी ।

दरख्वास्त बाबत रजिस्टर करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1903 हेतु ।

मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान वाला में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह ने मिति 18-5-87

को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री अमर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, वासी टुण्डू ने एक वसीयत नामा बहक प्रार्थी के नाम की जावे जिसकी तारीख पेशी 4-7-87 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आकर पेश कर सकता है इसके बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा। अन्यथा गैर हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जाएगी।

आज बतारीख 18-5-87 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार,
कांगड़ा।

ब अदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार, कांगड़ा

अभिशेक (Minor) पुत्र विधि चन्द शर्मा बजरिया माता खुद श्रीमती तृप्ता शर्मा बेवा विधि चन्द, वासी कोशल निवास कांगड़ा।

मुकद्दमा नम्बर 6/87 आफ 1987

बनाम

सर्व जनता ..प्रत्यार्थी।

दरख्वास्त बावत रजिस्ट्री करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1903 हेतु।

नाईब शरफ कांगड़ा

मुकद्दमा मुन्दरजा उनवान बाला में हरखास व आम को बजरिया मुश्तरी मुनयादी कर के सूचित करें कि अभिशेक कुमार उपरोक्त ने तिथि 24-4-87 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री विधि चन्द शर्मा पुत्र जय राम ने एक वसीयतनामा बहक प्रार्थी के नाम लिखवाया है कि उसकी संपूर्ण चल व अचल सम्पत्ति उसके मरणोपरान्त प्रार्थी के नाम की जावे जिस की तारीख पेशी 8-7-87 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आकर पेश कर सकता है। इस के बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा। अन्यथा गैर-हाजरी में वसीयत पंजीकृत के रसीदी टिकट लफ हैं।

आज बतारीख 14-4-87 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार,
कांगड़ा।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नं0 59/एन0 टी0 85

विषय :—मुकद्दमा तकसीम खाता नम्बर 14 खतौनी 78,79, 80 खसरा नम्बर 402,394,386 किता 3 रकबा तादादी 0-30-33 है0 मौ0 वाकया टीका लून्डर, मौजा पुन्दर, तहसील नुरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

वासी राम पुत्र श्री किरपा राम खुद व साहिब सिंह द्वारा मुख्त्यार आम श्री वासी साकन लून्डर, मौजा पुन्दर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ... सायल।

बनाम

मथरा सिंह वगैरा

नोटिस बनाम:

1. कांशी राम, 2. रण सिंह पुत्रान, 3. श्रीमती कृष्णा देवी, 4. छैला देवी, 5. गोगा देवी, 6. हरनाम सिंह, 7. बाबू राम, 8. मांगो राम उपनाम जोगिन्द्र सिंह, 9. शकुन्तला देवी, 10. सूदेश कुमारी पुत्री, 11. धर्मो देवी विधवा चरनो, 12. मून्नू पुत्र व 13 लीलम विधवा चैन सिंह, 14. मूल राम, 15. शाम लाल पुत्र तरलोक, सिंह, 16. लेजमा, 17. नीलमा, 18. ऊमू पिसरान व 19. करपाल सिंह, 20. शशपाल सिंह, 21. किकर सिंह पिसरान मिलखी, 22. धपो देवी, 23. रोशनी देवी, 24. दानो देवी पुत्रियां व, 25. माली राम पुत्र दित्तू, साकनान लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नुरपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ... मसूलयम।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण बार-बार सूचित करने के बावजूद भी उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को मुतला किया जाता है कि वे तारीख पेशी 30-6-87 को बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर कर सकते हैं। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-4-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी किया गया।

मोहर। भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
नुरपुर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर।

मुकद्दमा नं0 58/एन0टी0 85

विषय :—मुकद्दमा तकसीम खाता नम्बर 13 खतौनी 69,70,71,73, 74,75,76,77, खसरा नम्बर 299,313,27,316,375, 396,397,392,385,35,281,16,314,10, 315,9, 262, 273,282 किता 21 रकबा तादादी 2-39-35 है0 मी0 वाकया टीका लून्डर मौजा पून्दर, तहसील नूरपूर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

वासी राम पुत्र श्री किरपा राम खुद व साहिब सिंह द्वारा मुख्तयार आम श्री वासी राम साकन लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नुरपूर जिला कांगड़ा ... सायल।

बनाम

मथरा सिंह वगैरा

नोटिस बनाम :

1. कांशी राम, 2. रण सिंह पिसरान व 3. कृष्णा देवी, 4. छैला देवी, 5. गोगा देवी दुखतरान किरपा राम, 6. हरनाम सिंह, 7. बाबू राम, 8. मांगो राम उपनाम जोगिन्दर, 9. श्रीमती शकुन्तला देवी, 10. सूदेश देवी, 11. धर्मो विधवा चरनो, 12. मून्नू 13. श्रीमती लीलमा विधवा चैन सिंह, 14. मूल राम, 15. शाम लाल पुत्र तरलोक सिंह, 16. लेजमा कुमारी, 17. कुमारी नीलमा, 18. अजू पुत्री व, 19. करपाल सिंह, 20. शशपाल सिंह, 21. किकर सिंह पुत्र मिलखी राम, 22. श्रीमति धूपो देवी, 23. रोशनी देवी, 24. दानो देवी पुत्री व 25. माली पुत्र दित्तू साकनान लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नुरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण बार-बार सूचित करने के बावजूद भी उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को मुतला किया जाता है कि वे

तारीख पेशी 30-6-87 को बराये पैरवी मुकद्दमा अमालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर कर सकते हैं। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-4-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नूरपुर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नूरपुर।

मुकद्दमा नम्बर 61/एन0टी0 85

विषय:—मुकद्दमा तकसीम खाता नम्बर 8 खतौनी नम्बर 18,19 खसरा नं0 70,92,93,95, किता 4 रकबा तादादी 0-47-79 हैक्टेयर वाक्या टीका वासा, मौजा पून्दर, तहसील नूरपूर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बासी राम पुत्र श्री किरपा राम खुद व साहिब सिंह द्वारा मुख्त्यार आम श्री वासी राम साकन लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

मथरा सिंह वगैरा

नोटिस बनाम:

1. श्रीमती कृष्णा देवी 2. श्रीमती छैला देवी, 3. गंगा देवी, 4. पुत्री व 5. कांशी राम, 6. रण सिंह पुत्र किरपा, 7. हरनाम सिंह, 8. बाबू राम, 9. मधर सिंह, 10. मांगो राम उपनाम जोगिन्दर पुत्रान, व 11. श्रीमती शकुन्तला देवी, 12. सूदेश देवी, 13. श्रीमती धर्मो देवी विध्वा चैन सिंह, 14. मूल राम, 15. शाम लाल पुत्र तरलोक सिंह, 16. लेजमा, 17. कुमारी लीलमा, 18. करपाल सिंह, 19. यशपाल, 20. कोकर सिंह पुत्र मिलखी, 21. श्रीमती धूपू, 22. श्रीमती रोशनी, 23. श्रीमती दानो पुत्रीयां व साली राम पुत्र दितू साकनान लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ....मसूलयम।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण बार-बार सूचित करने के बावजूद भी, उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी के लिए हाजिर नही हो रहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण उपरोक्त को मुतला किया जाता है कि वे तारीख पेशी 30-6-87 को बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर कर सकते हैं। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-4-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नुरपूर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 60/एन0टी0

विषय:—मुकद्दमा तकसीम खाता नम्बर 7 खतौनी 31 से 35 खसरा नम्बर 72,76,102,75,103,84,99,105,251,145, 146,111 मिन किता 12 रकबा तादादी 0-53-77 है0 मी0 वाक्या टीका लून्डर, मौजा पून्दर, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा।

साहिब सिंह पुत्र किरपा राम द्वारा मुख्त्यारेआम श्री वासी राम, निवासी लून्डर, तहसील नूरपुर ... सायल।

बनाम

मथरा सिंह वगैरा।

नोटिस बनाम:

1. हरनाम सिंह, 2. बाबू राम, 3. मांगो राम उपनाम जोगिन्द्र पिसरान व, 4. कुमारी सुदेश देवी पुत्री, 5. श्रीमती धर्मो देवी विधवा चरनो पुत्र जीतो साकनान लून्डर, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण बार-बार सूचित करने के बावजूद भी उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को मुतला किया जाता है कि वे तारीख पेशी 30-6-87 को बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन हाजिर हो कर उजर कर सकते हैं अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-4-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
नूरपुर।

बअदालत जनाब जी0 डी0 भाटिया, उप-पंजिकाध्यक्ष बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल इन्दराज व रजिस्ट्रेशन वसीयतनामा
मरजूआ 14-6-80
बमुकद्दमा:

मंगत राम आदि
बनाम
आम जनता

दरखास्त बाबत पंजीकृत किये जाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मंगत राम आदि पिसरान दीना नाथ, निवासी टीका खजियां तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने एक दरख्वास्त बराए पंजीकृत किए जाने वसीयतनामा मुवर्खा 14-6-80 इस न्यायालय में गुजारी है जिस की बाबत आइन्दा पेशी 29-6-87 को मुकर्रर है जिस किसी शख्स को इस वसीयतनामा के पंजीकृत किए जाने में कोई उजर हो, वह इस न्यायालय में दिनांक 29-6-87 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन पेश करे बसूरत दीगर हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जा कर वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 6-4-87 को मेरे दस्तखत व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। जी0 डी0 भाटिया,
उप-पंजीकाध्यक्ष, बड़सर,
जिला हमीरपुर।

अदालती इश्तहार

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0

बअदालत श्री आर0एस0 गुप्ता, कुलैक्टर, सब-डिवीजन पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

अपील नं0 13/10

तारीख दायर 27-6-86

ज्ञान सिंह पुत्र श्री सीस राम वगैरा, निवासी ग्राम गावर, तहसील

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट ।

बनाम

दौलत राम पुत्र श्री चेत सिंह वगैरा, निवासी ग्राम गाबर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..प्रकरण प्रतिवादीगण

नोटिस बनाम :

(1) श्री जीत सिंह पुत्र श्री भलकु, साकिन गाबर, तहसील पांवटा साहिब ।
(2) श्री जाती राम पुत्र श्री भलकु, साकिन गाबर ।
(3) श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री भलकु, साकिन गाबर ।
(4) श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री भलकु, साकिन गाबर ।
(5) श्री खजान सिंह पुत्र श्री शोभा राम, साकिन गाबर ।
(6) श्री बीजा राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गाबर ।
(7) श्री कली राम पुत्र श्री मेहरु, साकिन गाबर ।
(8) श्री बुध सिंह पुत्र श्री भलकु, साकिन गाबर ।
(9) श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, साकिन गाबर ।
(10) श्री चान्दनू पुत्र श्री मेहरु, साकिन गाबर ।
(11) श्री मोही राम पुत्र श्री मेहरु, साकिन गाबर ।
(12) श्री धनी राम पुत्र श्री मेहरु, साकिन गाबर ।
(13) श्री मनशा राम पुत्र श्री राम चन्दर, साकिन गाबर
(14) इन्दर सिंह, रण सिंह पुत्रान श्री धन्ना साकिन गाबर, वसन्ती पुत्री धन्ना ।
(15) अपीलांट-16 श्री ध्यान सिंह के उत्तराधिकारी शिवा राम, चेत राम, मनी राम, मान सिंह पुत्रान श्रीमती बिगता विधवा, साकिन गाबर ।
(16) प्रतिवादी नं0 30 मोही राम के उत्तराधिकारी--
(17) श्रीमती नाजरो विधवा, (2) श्री मही राम पुत्र, साकिन गाबर ।

उनवान:—अपील खिलाफ हुक्म सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, दिनांक 15-3-71 फाइल नं0 15/9, 21/9 व 64/75

बमुकद्दमा उपरोक्त उनवान बाला में उपरोक्त तमाम वादी व प्रतिवादी को इस अदालत से उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु कई बार समन जारी किए गए परन्तु इनकी तामील नहीं हो सकी । अतः अदालत को पूर्ण यकीन हो चुका है कि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 की तामील साधारण तौर पर नहीं हो सकती । इसलिए प्रतिवादीगण नं0 1 ता 16 को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-6-87 को सुबह 10 बजे दिन असालतन व वकालतन इस अदालत में उपस्थित हो कर पैरवी मुकद्दमा करें। हाजिर न होने की सूरत में उनके खिलाफ कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 15-5-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 एस0 गुप्ता,
कुलैक्टर,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ।

अदालती इश्तहार

इश्तहार बेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0

बअदालत श्री आर0 एस0 गुप्ता, कुलैक्टर पांवटा साहिब सब-डीवीजन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

अपील नं0 4/10
तारीख दायर 27-2-87

परमजीत सिंह साकिन महन्त कुटी, पांवटा साहिब ...अपीलांट ।

बनाम

भगवन्त सिंह पुत्र श्री भाग सिंह साकिन कूपकलां, तहसील मलेर कोटला, जिला संगरूर, (पंजाब) ...प्रतिवादी ।

नोटिस बनाम : भगवन्त सिंह पुत्र भाग सिंह साकिन कूपकलां

उनवान:—अपील खिलाफ हुक्म सहायक कुलैक्टर द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, बावन इन्तकाल ।

बमुकद्दमा उपरोक्त उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 को इस अदालत से उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु कई बार समन जारी किए गए परन्तु इनकी तामील नहीं हो सकी । अतः अदालत को पूर्ण यकीन हो चुका है कि प्रतिवादीगण नं0 1 को तामील साधारण तौर पर नहीं हो सकती । इसलिए प्रतिवादी भगवन्त सिंह को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-6-87 को 10 बजे दिन असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित हो कर पैरवी मुकद्दमा करे। हाजिर न होने की सूरत में उनके खिलाफ कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 15-6-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 एस0 गुप्ता,
कुलैक्टर,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ।

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P. C.

Before Shri J.S. Chouhan, Assistant Collector 1st Grade Kumarsain, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh

Revenue partition Case No. 17 of 1986

Titled as Shri Sabir Dass *vs.* Shri Chet & others.

Application for partition of the land situated in mauza Khaner, Tehsil Kumarsain donated in Khata Khatauni No. 12/16 as per the Jamabandi for the year 1983-84.

To

1. Shri Chet Ram, 2. Shri Prem Sukh, 3. Shri Atma Ram (all sons of Late Shri Ratti Ram, resident of Village Dagah, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla), 4. Shri Kanshi Ram son of Late Shri Ramu, resident of Village Barmalroo, P.O. Halnidhar, Thesil Kumarsain, District Shimla, 5. Shri Balak Ram, 6. Shri Malka, 7. Shri Rama Nand, 8. Shri Jai Lal (all sons of Late Shri Bhagat Ram, resident of Village Dagah, Tehsil Kumarsain, District Shimla, 9. Smt. Kagdu wife of Shri Meena Ram, resident of Village Rewag, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla, 10. Smt. Kesaru wife of Shri Jeet Ram, resident of village Daroo, P. O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla. 11. Smt. Hiru wife of Shri Dila Ram resident of Village Rawag, P.O. Kayare, Tehsil Theog, District Shimla, 12. Smt. Durgu d/o Shri Bhagat Ram, resident of Village Dagah, Tehsil Kumarsain, District Shimla, 13. Shri Bhagat Ram, 14. Shri Kanshi Ram, 15. Shri Jai Chand (all sons of Shri Moti Ram, resident of Village Damor, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla, 16. Shri Daulat Ram *alias* Daultu son of Shri Sadh, resident of Village Dagah, Tehsil Kumarsain, District Shimla, 17. Shri Jonki son of Late Shri Kukmu, resident of Village Jal, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla ..*Respondents.*

18. Shri Karam Dass son of Late Shri Fulnu, resident of Village Khaner, Tehsil Kumarsain presently posted (Karam Dass Verma Air Force Camp Madh Islanda, P.O. Versova Bombay-400061 *Proforma Respondent.*

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted defendents/respondents are evading service of the summon and cannot be served in the normal course of the service. Hence this prolcamation is hereby issued against them to appear in this court on the date fixed for hearing on 26-6-1986 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against them.

Given under my hand and the seal of the court on 20th May, 1987.

Seal.

J. S. CHOUHAN,
Assistant Collector 1st Grade Kumarsain,
Tehsil Kumarsain,
District Shimla.

In the Court of Shri B. D. Sharma, Senior Sub-Judge, Mandi H. P.

In the matter of:

State Bank of India, Mandi .. Plaintiff

Versus

Shri Dina Nath Sharma son of Shri Mani Ram, resident of House No. 16/9, Bangla Mohalla, Mandi Town

.. Defendant.

Suit for recovery of Rs. 1108.85

To

Sh. Dina Nath Sharma son of Shri Mani Ram, r/o House No. 16/9, Bangla Mohalla, Mandi.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the service upon the defendant Dina Nath Sharma is not possible by an ordinary mode of service. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against the above noted defendant to appear in this court on 19-6-87 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case failing which the case will be heard *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court this 20th day of May, 1987.

Seal.

B. D. SHARMA,
Senior Sub-Judge.
Mandi, H.P.

बअदालत श्री राजेन्द्र कौशल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा दरुस्ती इन्द्राज।

श्रीमती केसरी देवी जौजा श्री नत्थू राम, वासी मनोह, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री नत्थू राम खाविन्द व मुख्त्यारे खास खुद।

बनाम

आम जनता

उनवान: भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 32, खसरा नं0 1628/1164, तादादी 0-8 मरले अनुसार जमाबन्दी 1984-85 वाक्या टीका जाहू खुर्द, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर ।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि श्रीमती केसरी देवी जौजा नत्थू राम, वासी मनोह का उपरोक्त खसरा नं0 1 में अरसा 50-60 वर्ष से एक सराये बतौर रफाए आम तामीर करवाई थी। सराए की इमारत अरसा 4 वर्ष से गिर चुकी है और वर्षा से मलबा भी खुर्द-बुर्द हो गया है अब श्रीमती केसरी देवी मालिक सराए इस स्थान पर अपना कब्जा बतौर मकबूजा मालिक जाहिर करती है और दरुस्ती कागजात खसरा गिरदावरी चाहती है । अगर किसी भी व्यक्ति को इस बारे में एतराज हो तो वह दिनांक 22-6-1987 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा दरुस्ती कागजात माल में बहक श्रीमती केसरी देवी कर दी जायेगी।

आज बतारीख 23-5-1987 को मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। राजेन्द्र कौशल,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर।

ब अदालत श्रीमान कुलैक्टर, उप-मण्डल चम्बा, जिला चम्बा

उनवान मुकद्दमा:—श्रीमती मायां महाजन विधवा श्री हंस राज महाजन, मुहल्ला चौगान, हाल साकिन बाजू, तहसील करसोग, जिला मण्डी. . . अपीलान्ट।

बनाम

विपन महाजन पुत्र हंस राज वगैरा .. रैस्पोंडैण्ट।

बनाम: श्री विपन महाजन पुत्र श्री हंस राज महाजन, साकिन द्वितीय मंजिल, एस-403 ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली ।

उक्त मुकद्दमा में श्री विपन महाजन को कई बार समन रजिस्ट्रड ए0डी0 द्वारा भेजे गए परन्तु उनकी तामील नहीं हो सकी जिस से अदालत को यह विश्वास हो गया है कि विपन महाजन की साधारण ढंग से तामील होनी कठिन है । अतः 22-6-87 की तारीख पेशी निर्धारित करके इस इश्तहार द्वारा विपन महाजन को सूचित किया जाता है कि तिथि 22-6-1987 को न्यायालय में सुबह 10 बजे हाजिर आवे अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 18-5-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुए ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
कुलैक्टर,
उप-मण्डल, चम्बा।

न्यायालय श्री सुभाष कलसोत्रा, सब-रजिस्ट्रार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

(1) सुमीत कुमार, 2. अमीत कुमार नबालगान द्वारा श्री सुभाष चंद पुत्र तुलसी राम, वासी शिवल लाईन, धर्म शाला .. सायलान।

बनाम

(1) मिस मन्नु पुत्री नबालग द्वारा कैलाश चन्द पिता, मकान नं0 2514, सैक्टर 19-सी, चण्डीगढ़, (2) आम जनता। .. प्रतिवादीगण।

दुख्स्ति जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्री विधान ।

आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि सुमीत कुमार व अजीत कुमार नबालगान द्वारा श्री सुभाष चंद ने एक वसीयत दिनांक 2-10-84 मिनजानब शान्ती देवी उर्फ बिर्पभान पत्नी तुलसी राम बराए पंजीकृत करने पेश अदालत की है । अगर किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत के पंजीकृत करने में कोई उज्र हो तो वह असालतन या वकालतन अपने उजरात दाखल अदालत दिनांक 29-6-1987 को सुबह 11.00 बजे दाखल कर सकता है । अगर उक्त तिथि पर उज्रात दाखल अदालत न हुए तो कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

नोटिस आज दिनांक 10-11-86 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

तिथि 30-5-87

सुभाष कलसोत्रा,
मोहर। सब-रजिस्ट्रार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

In the Court of Shri S. L. Sharma, Sub-Judge 1st Class. Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

In re: 47/1 of 1986

State Bank of India having one of Branch Office at Theog, through its Branch Manager, Sh. P. C. Rana ..Plaintiff.

Versus

Shri Uma Sukh son of Shri Mangal Dass. resident of

Khaneuri, P. O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla etc. .. Defendants.

Suit for recovery a sum of Rs. 751.14
Application under order 5, rule 20, C.P.C

To

Shri Uma Sukh son of Shri Mangal Dass, r/o Village Khaneuri, P. O. Jais, Tehsil Theog.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant No. 1 Shri Uma Sukh cannot be served through ordinary course of the summons as issued to him received back unserved.

Hence this publication under order 5, rule 20, C.P.C. is issued to above named defendant to appear before this court on 10-7-1987 personally or through an authorised agent or pleader to defend his case, failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against him.

Given under by hand and seal of court this 16th day of February, 1987.

Seal. S. L. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class, Theog.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri M. D. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Chumarwin, District Bilaspur (H. P.)

Civil Suit No. 80/1 of 86

Shri Kanshi Ram s/o Shri Attar Singh, r/o Village Karloti, Pargana Sunhani, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. .. Plaintiff.

Versus

Shri Rafeek s/o Sarfu r/o Village Karloti, Pargana, Sunhani, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. and 4 others.

.. Defendants.

Suit for Declaration

To

1. Sh. Rafeek
2. Sh. Atamohammed
3. Sh. Karma
4. Sh. Gulamdeen ss/o Sarfu, rs/o Village Karloti, Pargana Sunhani, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.)

Whereas in the above noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendants above named are evading the service of the summons and they cannot be served in the normal course of service.

Hence this proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 24-6-87 at 10.00 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex-parte* proceeding will be taken against them.

Given under my hand and the seal of the court today the 20th May, 1987.

Seal. M. D. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class,
Ghumarwin, District Bilaspur.

APPLICATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.
In the Court of Shri S. L. Sharma, Sub-Judge, 1st Class, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh

In re: 273/1 of 1986

U.C.O. Bank a body corporate, constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 having its head office at Barabourne Road, Calcutta-1 and Divisional Office at Shimla with one of its Branch Office at Chailla, Tehsil Theog, District Shimla, (H.P.) .. Plaintiff.

Versus

Shri Kashmiri Lal son of Shri Bhagat Ram, Transport Operator, bearing registration No. HPH 143, r/o Samurkala, Tehsil and District Una, H.P. .. Defendant No. 1.

Suit for recovery of Rs. 1,73,706.72 P.

To

Shri Kashmiri Lal son of Shri Bhagat Ram, r/o village Samurkala, Tehsil and District Una, Transport Operator, bearing Registration No. HPH 143.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant No. 1 Kashmiri Lal cannot be served through the ordinary course of the summons, as the process issued to him received back unserved, because he is evading the service of the summons.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is issued against the defendant No. 1 Kashmiri Lal to appear before this court on 22-6-1987, at 10-00 A.M. personally or through any authorised agent or pleader to defend his case, failing which same will be heard and decided *ex-parte*.

Given under my hand and seal of the court this 1st day of June, 1987.

Seal. S. L. SHARMA,
Sub-Judge, 1st Class, Theog.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुन : प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।